न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, जयपुर

बनाम

अभियुक्त

1. मोहनसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह (वेन्डर),
   मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल रिफ्रेशमेंट स्टॉल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़
   निवासी- 51 मालीवास, वार्ड नं. 7, 8, आबूरोड़, जिला- सिरोही
2. श्रीमती नीलाबेन साफी पत्नि स्व. भूपेन्द्र साफी (उत्तराधिकारी)
   मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल, रिफेशमेंट स्टॉल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़
   निवासी- गुरुकुल सोसायटी, अहमदाबाद
3. मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल, रिफेशमेंट स्टॉल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़

प्रकरण संख्याः 40/2016

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 54 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री पोपटलाल दवे, अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 02 मई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 10.7.2015 को समय 11.15 बजे मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल, रिफेशमेंट स्टॉल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़ पर पँहुचा। रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल पर मोहनसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह वेन्डर यात्रियों को चाय, बिस्कुट, रबडी, पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर आदि बेच रहा था। मैनें मोहनसिंह को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया और उक्त स्टॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर स्टाल में एक स्टील के भगौना में लगभग आठ किलो ग्राम रबडी रखी हुई पाया जिसे यात्रियों को बचा जा रहा था। इस रबडी में मिलावट का सन्देह होने पर मौके पर फार्म नं. 5ए तैयार किया व प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों को गवाही हेतु बुलाया, लेकिन कोई भी गवाही देने के लिये तैयार नही हुआ। जिससे मेरे साथ मौजूद श्री धर्मवीर सी.एच.आई. (कॉलोनी) एवं उमाकांत शर्मा, सी.एच.आई. (स्टेशन) आबूरोड़ के हस्ताक्षर करवाये तथा वेन्डर मोहनसिंह को दिया। वेन्डर मोहनसिंह से 2 किलोग्राम रबडी वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत वेन्डर मोहनसिंह को रुपये 500/- (पांच सौ मात्र) नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर वेन्डर मोहनसिंह के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री धर्मवीर एवं उमाकांत शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये माल खरीद रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा रबडी को होमोजीनाइज्ड कर चार हिस्सों में बांट कर चार प्लास्टिक के खाली, साफ, सूखे डिब्बे दिखाकर उक्त खरीदशुदा रबडी को प्रत्येक में बराबर-बराबर (प्रत्येक में 500 ग्राम) डाला एवं प्रत्येक डिब्बे में ढ़क्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक NWR-135 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं वेन्डर तथा गवाहों के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज के रेपर में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. NWR-135 नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार उपर, नीचे, दाये एवं बांये सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर वेन्डर, गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आ जावे व स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर वेन्डर एवं गवाह को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मोहनसिंह वेन्डर ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 6 की आठ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को श्री अशोक कुमार, एन्टी मलेरिया खलासी द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड कर श्री अशोक कुमार, एन्टी मलेरिया खलासी द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर फार्म 6 पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की दो प्रतियों के एवं चौथा नमूना भाग आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर को श्री कैलाश लाल, एन्टी मलेरिया खलासी के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो मूल ही संलग्न है। अभिहित अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक:एफ.एस.एस.ए./135/जेपी दिनांक 05.8.2015 के संलग्न उक्त खाद्य पदार्थ रबडी की जांच रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./548/एक्ट/2015/546 दिनांक 21.7.2015 प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रबडी Food Containing Extraneous Matter फूड होना पाया गया। अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर द्वारा मोहनसिंह, वेन्डर ऑफ मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल एवं मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल रिफ्रेशमेन्ट स्टाल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड को पत्र मय विश्लेषण रिपोर्ट भेजा गया, लेकिन उनके द्वारा पुनः विश्लेषण हेतु अपील नही की गई। संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं मुख्य स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर ने अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर द्वारा समय सीमा बढ़ाने के लिये अनुशंषित पत्र के साथ संलग्न कागजात का अध्ययन कर संतुष्ट होकर अभियोजन करने के लिये समय सीमा एक वर्ष से 4 माह और बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। अभिहित अधिकारी एवं उप मुख्य यचिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर ने पत्रांक/एफ.एस.एस.ए/135/जेपी/19 दिनांक 30.8.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य

.....पेज तीन पर

मु. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

मु. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा Food Containing Extraneous Matter फूड रबडी का विक्रय कर एवं विक्रय करने के लिये रख कर उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्तगण पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री पोपट लाल दवे उपस्थित हुये एवं अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 02.5.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। जिस पर अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि वेन्डर मोहनसिंह जो मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल, रिफ्रेशमेन्ट स्टाल, प्लेटफार्म नं. 2/3 रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़ में चाय, काफी, रबडी आदि का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वेन्डर मोहनसिंह से दिनांक 10.7.2015 को क्रय की गई रबडी की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में Food Containing Extraneous Matter होना बताया है, जबकि उक्त रबडी Food Containing Extraneous Matter नही थी। रबडी में कढ़ाई से जली हुई खुरचन आ गई थी जो किसी भी रुप में Food Containing Extraneous Matter फूड नही है। रबडी में उसी तत्व रबडी का जला हुआ हिस्सा आया है, अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नही किया है। वेन्डर मोहनसिंह की गलती से रबडी की कढाई के चिपका हुआ जला हुआ हिस्सा रबडी में आ गया था, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर दिनांक 10.7.2015 को समय 11.15 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल रिफ्रेशमेन्ट स्टाल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़ पर गये। उक्त रिफ्रेशमेन्ट स्टाल पर वेन्डर मोहनसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह यात्रियों को चाय, बिस्कुट, रबडी, पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर आदि बेच रहा था। आवेदक द्वारा उक्त रिफ्रेशमेन्ट स्टाल का निरीक्षण करने पर रिफ्रेशमेन्ट स्टाल में एक स्टील के भगौने में लगभग आठ किग्रा रबडी (दूध चीनी से निर्मित) रखी हुई पाई जिसे यात्रियों को विक्रय किया जा रहा था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ रबडी की गुणवत्ता पर संदेह होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री धर्मवीर, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, (कॉलोनी), उत्तर-पश्चिम रेल्वे, आबूरोड़ एवं श्री उमाकांत शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक (स्टेशन), उत्तर-पश्चिम

.....पेज चार पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

रेल्वे, आबूरोड़ के समक्ष विक्रेता/वेन्डर मोहनसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी तथा दो किलोग्राम रबडी वास्ते नमूना जांच खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) विक्रेता/वेन्डर मोहनसिंह को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/वेन्डर मोहनसिंह एवं उक्त गवाहान तथा आवेदक श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विकेता/वेन्डर एवं उक्त गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा रबडी को होमोजिनाइज कर चार हिस्सों में बांटकर चार प्लास्टिक के खाली, साफ, सूखें डिब्बों (प्रत्येक में 500 ग्राम) में भरा और चार नमूना भागों में 40-40 बूंदे फार्मलीन डालकर डिब्बों के मुंह को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद कर सील्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर के कोड एवं कमांक NWR-135, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता/वेन्डर मोहनसिंह एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयुपर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप NWR-135 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता/वेन्डर मोहनसिंह व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता/वेन्डर मोहनसिंह, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल रिफ्रेशमेन्ट स्टाल, प्लेट फार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़ में वेन्डर मोहनसिंह से खाद्य पदार्थ रबडी (दूध चीनी से निर्मित खाद्य पदार्थ) का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री अशोक कुमार, एन्टी मलेरिया खलासी, अधीन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, उत्तर-पश्चिम रेल्वे, आबूरोड़ के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य

....पेज पांच पर

अति. जिला न्यायाधीश
सिरोही-307001.

विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर को श्री कैलाश लाल, एन्टी मलेरिया खलासी, अधीन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ रबडी नमूना संख्या NWR-135 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांकः L.S./548/Act/2015/546 दिनांक 21.7.2015 के अनुसार आवेदक श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल रिफ्रेशमेन्ट स्टाल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़ में वेन्डर मोहनसिंह से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रबडी Food Containing Extraneous Matter due to presence of blackish brown coloured foreign (extraneous) matter होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल रिफ्रेशमेन्ट स्टाल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड़ में वेन्डर मोहनसिंह द्वारा Food Containing Extraneous Matter खाद्य पदार्थ रबडी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-54 के तहत अभियुक्त मोहनसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह, निवासी- 51, मालीवास, वार्ड नं. 7, 8, आबूरोड़, जिला- सिरोही, वेन्डर, मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल रिफ्रेशमेन्ट स्टाल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। उक्त अभियुक्त मोहनसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह, निवासी- 51, मालीवास, वार्ड नं. 7, 8, आबूरोड़, जिला- सिरोही, वेन्डर, मैसर्स भूपेन्द्र हरिलाल रिफ्रेशमेन्ट स्टाल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेल्वे स्टेशन, आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

2.5.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)